रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 1986/माघ 30, 1907

No. 57] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 1986/MAGHA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1986

अधिसूचना

का. आ. 6?(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ अस्सीवां) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,

(क) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. आन्तरिक सुरक्षा विभाग" उप शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 47 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"47. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान, से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित अवशिष्टीय मामले, जिसके अंतर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन, दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तान्तरण पत्र जारी करना और ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पटिटयों या सुधारक क्षेत्रों में पट्टाविलेखों का संपरिवर्तन करना और आबंटन नहीं आता है।"

(ख) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ङ. महिला कल्याण विभाग" उप शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"13 संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ)

14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के. स. क. बो.)

15. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान।" ;

"उद्योग मंत्रालय शीर्षक के अधीन,—

(ग) (1) "औद्योगिक विकास विभाग" उप शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"8क ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 80)।";

(2) "ग. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग" उप शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 10 का लोप किया जाएगा,

(घ) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 10 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्.—

"10क. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तान्तरण पत्र जारी करना और ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि और सुधारक क्षेत्र के भूमि की अतिरिक्त पट्टियों या सुधारक क्षेत्र के पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना और आबंटन।";

(ङ) "कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के नीचे प्रविष्टि 7, 11 और 20 का लोप किया जाएगा।

जैल सिंह

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86 मंत्रि.]

आर. राजमणि, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 18th February, 1986

NOTIFICATION

S.O. 62(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eightieth) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)", for entry 47, the following entry shall be substituted, namely :—

"47. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan, now Pakistan, excluding issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining the properties, under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).";

(b) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", under the sub-heading "E. DEPARTMENT OF WOMEN'S WELFARE (MAHILA KALYAN VIBHAG)", after entry 12, the following entries shall be added, namely :—

"13. United Nations Children's Fund (UNICEF).

14. Central Social Welfare Board (CSWB)

15. National Institute of Public Cooperation and Child Development.";

(c) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)",—

(1) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

"8A. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).";

(2) under the sub-heading, "C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS", entry 10 shall be omitted

(d) under the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)", after entry 10 the following entry shall be inserted namely:—

'10.A. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.";

(e) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)" entries 7, 11 and 20 shall be omitted.

ZAIL SINGH

PRESIDENT

[No. 74|2|1|86-Cab.

R. RAJMANI, Addl. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986